

गणेश दायारा जगाई



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : उन्नाव, तहसील : बांगरमऊ
वाद संख्या :- 3096/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202210690603096

साधना सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निरस्त
निरस्त

5.00 (Rs. 5)
निरस्त INDIA
FIVE RUPEES

-: निर्णय -:

प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 80 अधिनियम-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत आवेदिका श्रीमती सखना सिंह पत्नी प्रगति कुमार सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के द्वारा उओओ सरकार को पत्राचार बनाते हुये इस बयन के साथ जोड़ित किया है कि आवेदिका ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ पर बतौर संकमणीय भूमिधार अंकित है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, कुककूट पालन, मत्स्य पालन आदि के लिये गरी किया जा रहा है एवं पूर्णतः अकृषिक है। अन्त में आवेदिका द्वारा ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ से कुल भूमि रकबा 0.5260हेठ को विज्ञापन संस्थान प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है।

उक्त के संक में तहसीलदार बांगरमऊ, से जांच करायी गयी। तहसीलदार बांगरमऊ, उन्नाव ने अपनी जांच आख्या दिनांक 25.06.2022 में उल्लिखित किया है कि आवेदिका ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ पर बतौर संकमणीय भूमिधार अंकित है। प्रस्तुत भूमि पर रेडीमेड चाहर टीवारी बनी है, जो पूर्णतः अकृषिक है। अन्त में ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ से कुल भूमि रकबा 0.5260हेठ को निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त आवेदिका श्रीमती सखना सिंह पत्नी प्रगति कुमार सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम उओओ राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार बांगरमऊ, की जांच आख्या तथा सक्ष्यों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि आवेदिका ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ पर बतौर संकमणीय भूमिधार अंकित है। पत्रावली के साथ संलग्न छायाचित्र से विदित है कि प्रस्तुत भूमि पर रेडीमेड चाहर टीवारी बनी है, तथा प्रस्तुत भूमि पूर्णतः अकृषिक है। आवेदक के द्वारा वित्तीय नियम-संग्रह खण्ड-5, भाग-2 में (1)परिष्कृत अथ निर्धारित शुल्क रु 11,580 रु खालन संख्या FT00001 दिनांक के माध्यम से उपकोषागार में जमा किया गया व राजस्व संहिता की धारा 80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत कृषि भूमि को "अकृषिक भूमि" घोषित किये जाने वाले प्रकरणों में निवगवली के नियम 85(2) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित कृषि भूमि की दर के आधार पर निकाले गये मूल्यांकन पर 01 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क न्यायिक स्टाम्प के रूप में प्राप्त किया गया जो रक्षित पत्रावली है। प्रस्तुत भूमि की अकृषिक उदघोषणा से सार्वजनिक न्यूसंस उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जो उदघोषणा विधेयना से स्पष्ट है कि ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ से कुल भूमि रकबा 0.5260हेठ को आवेदिका श्रीमती सखना सिंह पत्नी प्रगति कुमार सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बन्धा प्रतीत नहीं होती है।

-आदेश-

पत्रावली पर उपलब्ध सक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर तहसीलदार बांगरमऊ की जांच आख्या दिनांक 25.06.2022 स्वीकार की जाती है। ग्राम उतमानपुर परगना फतेहपुर बीरसाही तहसील बांगरमऊ की खतीनी वर्ष 1424 से 1429980 के खाता संख्या 574 पर अंकित गाटा सं 491अ रकबा 1.3620हेठ से कुल भूमि रकबा 0.5260हेठ को आवेदिका श्रीमती सखना सिंह पत्नी प्रगति कुमार सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही फतावली सक्ति राजस्व अभिलेखागार हो।

दिनांक-27/06/2022

पृष्ठ संख्या :



उपजिलाधिकारी,
बांगरमऊ, उन्नाव।

No of application.....436
Name of applicant.....
Words written.....
Words Printed.....

Sopyad By.....
Prepared By.....

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
जय जिलाधिकारी बांगरमऊ-उन्नाव

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : संगरमऊ, जनपद : उन्नाव, तहसील : बांगरमऊ
 गाद संख्या :- 1351/2022
 कंप्यूटरीकृत गाद संख्या :- 1202210690601351

प्रविशा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक विजय कुमार सिंह बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत गाद अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत प्रविशा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे कटरा मल्लावा हरदोई द्वारा प्रबन्धक विजय कुमार सिंह पुत्र बाबूराम निवासी नो० गंगारामपुर (दक्षिणी) कन्वा व परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के द्वारा उ०प्र० सरकार को अर्पण बनाते हुये इस कथन के साथ योजित किया है कि आवेदक ग्राम उतमानपुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० व गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० पर बतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि बागवानी, कुक्कुट आदि मत्स्य पालन आदि के लिये नहीं किया जा रहा है एवं पूर्णतः अकृषिक है। अन्त में आवेदक द्वारा ग्राम उतमानपुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० में से आवेदक हिस्से की भूमि रकबा 0.2380हे० व गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.0220हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० कुल रकबा 0.6040हे० को शिक्षण संस्थान प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित 1875 धाम की याचना की है।

उक्त के संबंध में तहसीलदार बांगरमऊ, श्री जॉय करवी गयी। तहसीलदार बांगरमऊ, उन्नाव ने अपनी जॉय आख्या दिनांक 30.04.2022 में उल्लिखित किया है कि आवेदक ग्राम उतमानपुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० व गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० पर बतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर अंकित है। आवेदन के साथ सहायकारों के अनापत्ति शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये जो संलग्न पत्रावली है। प्रश्नगत भूमि के रकबा 0.1140हे० पर पक्की ईंटों की दीवाल व पिलर उठाकर आर०सी०सी० छत डाल दी गयी है तथा शेष रकबे पर रेडीमेड चाहर दीवारी बनी है, जो पूर्णतय अकृषिक है। अन्त में ग्राम उतमानपुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.2380हे० व गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.0220हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० कुल रकबा 0.6040हे० को निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त जयदेव प्रविशा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे कटरा मल्लावा हरदोई द्वारा प्रबन्धक विजय कुमार सिंह पुत्र बाबूराम निवासी नो० गंगारामपुर (दक्षिणी) कन्वा व परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार बांगरमऊ, की जॉय आख्या दिनांक 30.04.2022 तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि आवेदक में ग्राम उतमानपुर की खतौनी वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० पर बतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर अंकित है तथा आवेदन के साथ अन्य सहखातेदार के अनापत्ति शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। पत्रावली के साथ संलग्न धार्याचित्र से विदित है कि प्रश्नगत भूमि के रकबा 0.1140हे० पर पक्की ईंटों की दीवाल व पिलर उठाकर आर०सी०सी० छत डाल दी गयी है तथा शेष रकबे पर रेडीमेड चाहर दीवारी बनी है, जो पूर्णतय अकृषिक है।



दिनांक 27/5/22

(Handwritten signature)



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : सखनड, जनपद उन्नाव, तहसील : बांगरमड
वाड संख्या : -1351/2022
कंप्यूटरीकृत वाड संख्या : -T202210690601351
प्रविशा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक विजय कुमार सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

73

आवेदगण के द्वारा वित्तीय नियम-संग्रह खण्ड-5 भाग-2 में (1)अतिरिक्त अंश निर्धारित शुल्क मु० 16,920 रु० चालान संख्या-CT00001 दिनांक 29.03.2022 के तालिम से उपकोषागार में जमा किया गया व राजस्व संहिता की धारा 80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत कृषि भूमि को "अकृषिक भूमि" घोषित किये जाने वाले प्रकरणों में निम्नखाली के नियम 85(2) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित कृषि भूमि की दर के आधार पर निकाले गये मूल्यांकन पर 01 प्रतिशत उदघोषणा शुल्क न्यायिक स्टाम्प के रूप में प्राप्ति योग्य है जो रक्षित पत्रावली है। प्रश्नगत भूमि की अकृषिक उदघोषणा से सार्वजनिक न्यूसैम उदघोषणा होने की संभावना नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ग्राम उतमानपुर की खाली वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.2380हे० व गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.0220हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० कुल रकबा 0.6040हे० को आवेदक प्रविशा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे कटरा मल्लावा हरदोई द्वारा प्रबन्धक विजय कुमार सिंह पुत्र बाबुराम निवासी मो० गंगारामपुर दक्षिणी कस्बा व परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्राप्ति नहीं होती है।

आदेश:-

पत्रावली पर उपर्युक्त राशियों/अभिलेखों के आधार पर तहसीलदार बांगरमड की जांच आख्या दिनांक 30.04.2022 स्वीकार की जाती है। ग्राम उतमानपुर की खाली वर्ष 1424 से 1429फ० की खाता संख्या सं० 32 की गाटा संख्या 482 रकबा 0.7140हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.2380हे० व गाटा संख्या 491द रकबा 0.0660हे० में से आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.0220हे० व खाता संख्या 574 के गाटा संख्या 483 रकबा 0.2380हे० व खाता संख्या 421 पर अंकित गाटा संख्या 484 रकबा 0.1060हे० कुल रकबा 0.6040हे० को आवेदक प्रविशा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे कटरा मल्लावा हरदोई द्वारा प्रबन्धक विजय कुमार सिंह पुत्र बाबुराम निवासी मो० गंगारामपुर दक्षिणी कस्बा व परगना मल्लावा तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के नाम अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखागार हो।

दिनांक:- 09/05/22

उपजिलाधिकारी
बांगरमड, उन्नाव

पृष्ठ संख्या :

